D-820
20/9/18

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

जविप्रा क्षेत्र में स्थित पार्कों के संधारण हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

1. जविप्रा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यानों को स्थानीय निवासियों की विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठनों से पीपीपी मॉडल पर देकर संधारण कार्य करवाये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (Annex.-I) में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
2. इच्छुक विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन का सहकारिता विभाग में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
3. इच्छुक विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के पहचान पत्र की प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. संधारण हेतु दिये जाने वाले उद्यानों की सूची Annex.-II पर संलग्न है।
5. पीपीपी मॉडल पर पार्कों के संधारण हेतु निर्धारित शर्तें एवं नियम (Annex.-III) पर संलग्न है।
6. उपर्युक्त पार्कों के संधारण कार्य हेतु जविप्रा के साथ किये जाने वाली अनुबंध की राशि पंजीयन मुद्रांक विभाग के नियमानुसार देय होगी, जिसे संबंधित विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन को वहन करना होगा।
7. इच्छुक विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा अन्य जानकारी हेतु वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कार्यालय (कमरा नं. NB-SF-203,204 & 205 ICICI Bank के ऊपर, जविप्रा, जयपुर) में समय 9:30 से 6:00 बजे के मध्य संपर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठ उद्यानविज्ञ,
जविप्रा, जयपुर

Annex.-I

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

उद्यान संधारण कार्य हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

आयुक्त महोदय,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः— स्थानीय विकास समिति/संस्था/चेरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठनों को उद्यान संधारण कार्य के लिए आवंटित करने के संबंध में।

1. स्थानीय विकास समिति/संस्था का नाम ....
2. पता ....
3. दूरभाष नम्बर ....
4. समिति/संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. ....
5. संधारण कार्य हेतु मांग किये गये उद्यान का नाम, वार्ड सं. एवं पता ....
6. समिति/संस्था के अध्यक्ष का नाम एवं पता मय दूरभाष नंबर ....
7. समिति/संस्था के सचिव का नाम एवं पता मय दूरभाष नंबर ....
8. समिति का बैंक खाता सं0, IFSC Code मय बैंक का नाम ....
9. अवधि — एक वर्ष

विकास समिति/चेरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन/संस्था उद्यान संधारण कार्य जनहित में जविप्रा द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर करने के लिए सहमत है।

हस्ताक्षर

1.अध्यक्ष

2.सचिव

समिति/संस्था मय नाम एवं पता

Annex. II

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

पी.पी.पी. मॉडल पर संधारण हेतु विकास समिति/संस्था/चैरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संगठन को दिये जाने वाले प्रस्तावित पार्कों की सूची

क्र.सं.	संधारण कार्य करवाये जाने वाले उद्यान का नाम व पता	उद्यान जोन
1	महल योजना सी ब्लॉक पार्क नं. 1	I
2	महल योजना सी ब्लॉक पार्क नं. 2	I
3	बीएसयूपी कोलोनी पार्क ए ब्लॉक, जयसिंहपुरा खोर, दिल्ली रोड	I
4	बीएसयूपी कोलोनी पार्क बी ब्लॉक, जयसिंहपुरा खोर, दिल्ली रोड	I
5	बीएसयूपी कोलोनी पार्क सी ब्लॉक, जयसिंहपुरा खोर, दिल्ली रोड	I
6	रामनगरिया ए ब्लॉक पार्क	I
7	शांति नगर, दुर्गापुरा	II
8	निर्माण नगर, डी–ब्लॉक	II
9	मंगल विहार पार्क, गोपालपुरा	II
10	कस्तूरबा नगर पार्क, वैशाली नगर	II
11	निर्माण नगर, ब्राइट फ्यूचर स्कूल के पास, अजमेर रोड	II.
12	अजमेरा गार्डन, अजमेर रोड	II
13	महेश नगर पार्क 80' रोड	II
14	पंचशील एनक्लेव पार्क, अजमेर रोड पुरानी चुंगी के पास	II
15	पुष्पांजली पार्क, टोंक फाटक	II
16	शिवाजी नगर पार्क, श्याम नगर थाने के पीछे	II
17	बगरू पेंशनर्स समिति पार्क, बगरू	II
18	पटेल नगर, पानी की टंकी के पास, मुहाना मंडी रोड	II
19	कृष्णा सरोवर पार्क, श्मशान घाट, मुहाना मंडी रोड	II

20	खुशी विहार, मुहाना मंडी रोड	II
21	महावीर नगर पार्क, दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन	II
22	मोदी नगर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड	II
23	नारायण विहार क्यू ब्लॉक, अजमेर रोड	II
24	नारायण विहार सी ब्लॉक, अजमेर रोड	II
25	विनायक विहार, मुहाना रोड	II
26	कृष्णा सरोवर पार्क, मानसरोवर	II
27	नील कंठ कालोनी पार्क, क्वींस रोड	III
28	नेमी सागर बी पार्क, वैशाली नगर	III
29	मरूधर नगर पार्क, वैशाली नगर	III
30	चित्रकूट सै. 4 पार्क नं. 1	III
31	चित्रकूट सै. 4 पार्क नं.2	III
32	चित्रकूट सैक्टर नं 3 पार्क नं. 1	III
33	चित्रकूट सैक्टर नं 3 पार्क नं. 2	III
34	विद्युत नगर सी,	III
35	शालीमार बाग, अजमेर रोड	III
36	कृष्णा नगर, वैशाली नगर पार्क	III
37	नील कंठ कालोनी, महादेव पार्क, वैशाली नगर	III
38	गिरधारीपुरा सी ब्लॉक पार्क	III
39	गिरधारीपुरा ए ब्लॉक पार्क	III
40	हीरा नगर पार्क ए	III
41	अयोध्या नगर सी	III
42	करधनी स्कीम सी ब्लॉक	IV
43	रेल विहार सेक्टर 9, विद्याधर नगर	IV

18.9.18

18/9/2018

18/9/18

(28) Annx - III FINAL REVISED DRAFT

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उद्यानिकी – शाखा

जयपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र में स्थित उद्यानों को स्थानीय निवासियों की विकास समिति/संस्था/चैरिटीबल ट्रस्ट/स्वंयसेवी संगठनों को पी.पी.पी. मॉडल पर देकर संधारण कार्य करवाये जाने हेतु नियम एवं शर्तें

1. स्थानीय विकास समिति/संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है एक स्थानीय विकास समिति/संस्था को एक ही पार्क संधारण हेतु दिया जायेगा।
2. केवल कॉलोनी के पार्कों को ही विकास समितियों को देना प्रस्तावित है। बडे पार्कों का संधारण प्राधिकरण स्तर पर ही कराया जावेगा।
3. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा सामान्यतः जहाँ व जिस हालत में सम्भलायी जायेगी। कार्य अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध साधनों एवं उद्यान को जिस स्थिति में सम्भाला गया है उसी स्थिति में या उससे बेहतर स्थिति में पुनः जविप्रा को सम्भलाना आवश्यक होगा।
4. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर संधारण कार्य हेतु दिये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा के रख–रखाव हेतु जविप्रा द्वारा बीएसआर 2016 की दर का 60 प्रतिशत अथवा उद्यान संधारण, में संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो स्थानीय विकास समिति/संस्था को दिया जावेगा। शेष राशि स्थानीय विकास समिति/संस्था स्वयं वहन करेगी। संस्था को दी जाने वाली राशि पुनर्भरण के रूप में त्रैमासिक आधार पर जारी की जावेगी। अन्य आवश्यक खर्चा स्थानीय विकास समिति/संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
5. जविप्रा द्वारा प्रत्येक तिमाही पर निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना करने हेतु समिति बाध्य होगी। रख–रखाव में पाई जाने वाली कमियों के अनुसार भुगतान राशि में कटौती की जायेगी।
6. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पार्क या अन्य सुविधा का पूर्ण आधिपत्य एवं स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का ही होगा। समिति/संस्था द्वारा स्वामित्व का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
7. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पार्क या अन्य सुविधा निश्चित समयावधि, ग्रीष्म ऋतु (01अप्रेल से 30 सितम्बर तक) में 5.00 AM to 10.00 PM तक तथा शरद ऋतु (01अक्टूबर से 31 मार्च तक) में 5.00 AM to 9.00 PM तक आम जनता के लिये खुले रहेगे। स्थानीय विकास समिति/संस्था आदि यदि पार्क या अन्य सुविधा के खुले रहने के समय में परिवर्तन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त करनी होगी। जविप्रा प्रशासन को समय में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
8. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पार्क या अन्य सुविधा पर कोई वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकेगी और न ही किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क लिया जावेगा। किसी प्रकार का मेला, विवाह व अन्य उत्सव मनाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा परन्तु जनहित के नितान्त आवश्यक मामले में स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दी जा सकेगी।
9. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पार्क या अन्य सुविधा के पानी–बिजली के बिल जमा करवाने की

पानी बिल की राशि जविप्रा द्वारा समिति/संस्था को विद्युत/जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की रसीद प्राप्त होने पर दी जायेगी। यदि विलम्ब शुल्क लगता है तो जमा करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित समिति/संस्था की होगी। यदि किसी पार्क में प्रीपेड़ मीटर लगा हुआ है तो उसे रिचार्ज करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित समिति/संस्था की होगी। यदि पानी–बिजली का भार बढ़ाना/घटाना अथवा नया कनेक्शन लेना हो तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त कनेक्शन लिया जायेगा। संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा के पानी–बिजली का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा। विद्युत मोटर का संधारण या जलने पर रिपेयर/रिपलेस करने की जिम्मेदारी समिति/संस्था की होगी। इस हेतु जविप्रा द्वारा पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।

10. स्थानीय विकास समिति/संस्था द्वारा संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पार्क या अन्य सुविधा में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही ऐसा कोई कार्य किया जायेगा जो माननीय उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक नियमों की अवहेलना या अवमानना की श्रेणी में आता हो।
11. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा को जविप्रा द्वारा स्थानीय विकास समिति/संस्था द्वारा उक्त सुविधा किसी अन्य स्वंयसेवी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को अपने स्तर पर स्थानान्तरित नहीं कर सकेगे।
12. सार–सम्भाल हेतु आवश्यक सभी उपकरण/मशीन एवं माली तथा चौकीदार लगाने की जिम्मेदारी समिति/संस्था की होगी। जविप्रा उक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं करवायेगा।
13. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा आरम्भ से दो वर्ष के लिये संधारण हेतु दी जायेगी उसके पश्चात् संधारण कार्य उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से परस्पर सहमति से एक वर्ष तक एवं राजस्थान उपापन पारदर्शिता नियम–2013 के अनुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
14. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा के संधारण अवधि में यदि किसी प्रकार की स्थायी क्षति/दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था/समिति की होगी एवं उसे स्वयं के स्तर से ही निस्तारित कराना होगा।
15. संधारण हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले पार्क या अन्य सुविधा में कमी पाये जाने पर 15 दिवस का नोटिस जारी करने के पश्चात् भी सुधार नहीं होने पर जविप्रा द्वारा उपलब्ध सुविधा को वापस लिया जा सकेगा एवं एग्रीमेन्ट समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति/अनुबन्ध रद्द होने पर उद्यानिकी शाखा, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा ले लिया जायेगा। उक्त विषय में जविप्रा के विरूद्ध कोई क्लेम नहीं किया जा सकेगा। उक्त अनुबन्ध को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बिना कारण बताये कभी भी निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. पार्क की बाऊण्ड्रीवाल आदि पर पोस्टर/बैनर/होर्डिग्स्/ हेंडबिल्स/यूनिपोल आदि नही लगाये जायेगे।
17. समिति/संस्था द्वारा पार्क में मरम्मत कार्य अपने स्तर से करवाया जाता है तो उस कार्य का जविप्रा द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
18. समिति/संस्था को अपने समस्त अभिलेख रखने होगे, जो कि अंकेक्षण हेतु चाहे जाने पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु समिति/संस्था बाध्य होगी। संस्था को सीए द्वारा ऑडिटेड़ बैलेन्सशीट प्रतिवर्ष जविप्रा को प्रस्तुत करनी होगी।
19. विवाद की स्थिति का निपटारा आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अधिकृत/नियुक्त

20. एक पार्क के संधारण कार्य हेतु एक से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होने पर जविप्रा द्वारा गठित कमेटी एवं आयुक्त, महोदय जविप्रा द्वारा आवंटन हेतु लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
21. जो संस्था/फर्म निःशुल्क रूप में उद्यान संधारण करना चाहेगी, उसे स्वयं के नाम का बोर्ड/विज्ञापन अनुज्ञेय होगे, किन्तु यह छूट अन्य संस्थाओं जो जविप्रा के व्यय पर कार्य करना चाहेगी उन संस्थाओं को नहीं दी जायेगी।
22. विकास समितियों को भुगतान मासिक रूप में मासिक व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।
23. स्थानीय निवासियों की विकास समिति/संस्था को वित्तीय मामलों हेतु एक विशेष खाता खुलवाना होगा, जिसमें जविप्रा द्वारा देय राशि एवं पार्क संधारण संबंधी अन्य प्राप्तियां हस्तान्तरित की जायेगी तथा इसी बैंक खाते से संधारण कार्य का व्यय किया जायेगा।
24. स्थानीय निवासियों की विकास समिति/संस्था के समस्त अभिलेखों की नियमित रूप से सी.ए. से ऑडिट करवाये जाने हेतु समिति/संस्था बाध्य होगी।
25. स्थानीय निवासियों की विकास समिति/संस्था को पार्क रख–रखाव हेतु दिये जाने वाली राशि का उपयोग केवल पार्क संधारण एवं इससे संबंधित कार्यो हेतु किया जायेगा।
26. किसी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालयों को ही होगा।
27. राज्य सरकार व जविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों को संस्था/समिति मानने हेतु बाध्य होगी।
28. पार्क में किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल या अन्य कोई सामुदायिक भवन आदि एवं अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो इस हेतु समिति/संस्था बाध्य होगी। समिति/संस्था पार्क के उपयोग/प्रवेश में किसी प्रकार से धार्मिक/जातीय आदि भेदभाव नहीं करेगी।
29. संस्था/समिति का यह दायित्व होगा कि पार्क में किसी प्रकार की कोई राष्ट्र विरोधी या असामाजिक या कानून विरोधी गतिविधियां संचालित नहीं हो।
30. पार्क में धूम्रपान व नशीली पेय व शराब आदि के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु समिति/संस्था बाध्य होगी।

30/8/18

20/8/18
वरिष्ठ उद्यानविज्ञ
जविप्रा, जयपुर।